न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 04/2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बर:2024/48) व इजलासः— डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

सत्तो पत्नी सोनी जाति जाट निवासी ग्राम शीशवाडा तहसील डीग (डीग) राज0

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय **दिनांकः 09.04.2024**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 1786/0.32, 1787/0.41, 1788/0.43, 2996/0.19, 2997/0.21, 2999/0.24, 3000/0.54, 3010/0.47, 3011/0.29, 3012/0.27, 487/0.30, 496/0.46, 497/0.56, 498/0.24, 499/0.37, 508/0.34, 509/0.33, 520/0.30, 694/0.33, 695/0.33, 957/0.29, किता—21, नवीन खाता संख्या 632 खसरा नम्बर 1328/0.13, 1336/0.09, 1337/0.15, 1351/0.12, 1352/0.11, 1353/0.19 किता—6, नवीन खाता संख्या 69 वाके ग्राम शीशवाडा तहसील डीग की आराजी में खेवट खतौनी संख्या 632 में प्रार्थिया 2249 हिस्से की खातेदार काश्तकार है एवं खेवट संख्या 69 में 1/588 हिस्से की खातेदार काश्तकार है और उक्त आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम सत्तो के स्थान पर गलत नाम सन्तो दर्ज कर दिया है और प्रार्थिया के पति सोनी की मृत्यु के बाद सोनी की विरासत का दाखिला खारिज दर्ज करते समय खसरा नम्बर 484/0.16 खेवट खतौनी संख्या 205 में सही नाम सत्तो दर्ज किया है। इसी प्रकार खसरा नम्बरान 300/0.21, 308/0.05, 301/0.17, 302/0.21, 303/0.18, 304/0.33, 305/0.35, 697/0.09, 705/0.38, 706/0.25, 957/0.25, 955/0.32, किता—12, खेवट खतौनी संख्या 454 में सही नाम सत्तो दर्ज किया है। इसी प्रकार खसरा नम्बरान 951/0.27, 952/0.35 खेवट खतौनी संख्या 457 में सही नाम सत्तो दर्ज किया है एवं खसरा नम्बरान 517/0.27, 518/0.24, 519/0.23 किता—3, खेवट खतौनी संख्या 459 में सही नाम सत्तो पत्नी सोनी दर्ज किया है।लेकिन उक्त ग्राम शीशवाउा के नवीन खाता संख्या 632 एवं 69 में प्रार्थिया का नाम दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटि से अशुद्व नाम सन्तो दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थिया का सही नाम सत्तो है और नवीन खाता संख्या 205, 454, 457, 559, 628 में सत्तो दर्ज है और प्रार्थिया के आधार कार्ड,बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर लिस्ट में सही नाम सत्तो दर्ज है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बरान 1786/0.32, 1787/0.41, 1788/0.43, 2996/0.19, 2997/0.21, 2999/0.24, 3000/0.54, 3010/0.47, 3011/0.29, 3012/0.27, 487/0.30, 496/0.46, 497/0.56, 498/0.24, 499/0.37, 508/0.34, 509/0.33, 520/0.30, 694/0.33, 695/0.33, 957/0.29, किता—21, नवीन खाता संख्या 632 खसरा नम्बर 1328/0.13, 1336/0.09, 1337/0.15, 1351/0.12, 1352/0.11, 1353/0.19 किता—6, नवीन खाता संख्या 69 वाके ग्राम शीशवाडा तहसील डीग की आराजी में प्रार्थिया के दर्ज हो रहे अशुद्व नाम सन्तो को शुद्व कर सत्तो दर्ज कराये जाने के आदेश पारित कराने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थिया **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांकः राजस्व/2024/188 दिनांक 08.04.2024 में अंकित किया गया है कि "वर्तमान जमाबन्दी ग्राम शीशवाडा के खाता संख्या 632 के आराजी खसरा नम्बरान में हिस्सा 2/49 व खाता संख्या 69 के खसरा नम्बरान में हिस्सा 1/588 पर सन्तो पत्नी सोनी जाति जाट नि0 शीशवाडा दर्ज रिकार्ड है। जबकि ग्राम शीशवाडा में

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

स्थित अन्य आराजी में सत्तो पत्नी सोनी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया के अन्य समस्त दस्तावेजात में सही नाम सत्तो ही दर्ज है। प्रार्थिया को गॉव में भी सत्तो के नाम से ही जाना जाता है। खाता संख्या 632 व 69 में सहवन से प्रार्थिया का नाम सत्तो की जगह सन्तो दर्ज हो गया है। सभी दस्तावेजात से ज्ञात होता है कि प्रार्थिया का सही नाम सत्तो ही है।"

वकील प्रार्थिया की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बरान 1786/0.32, 1787/0.41, 1788/0.43, 2996/0.19, 2997/0.21, 2999/0.24, 3000/0.54, 3010/0.47, 3011/0.29, 3012/0.27, 487/0.30, 496/0.46, 497/0.56, 498/0.24, 499/0.37, 508/0.34, 509/0.33, 520/0.30, 694/0.33, 695/0.33, 957/0.29, किता–21, नवीन खाता संख्या 632 खसरा नम्बर 1328/0.13, 1336/0.09, 1337/0.15, 1351/0.12, 1352/0.11, 1353/0.19 किता–6, नवीन खाता संख्या 69 वाके ग्राम शीशवाडा तहसील डीग की आराजी में प्रार्थिया के दर्ज हो रहे अशुद्व नाम सन्तो को शुद्व कर सत्तो दर्ज कराये जाने के आदेश पारित करने की आज्ञा फरमायें।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थिया की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार डीग की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया के आधार कार्ड,बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर लिस्ट में वर्णित सही नाम सत्तो दर्ज है। आराजी खसरा नम्बरान 1786/0.32, 1787/0.41, 1788/0.43, 2996/0.19, 2997/0.21, 2999/0.24, 3000/0.54, 3010/0.47, 3011/0.29, 3012/0.27, 487/0.30, 496/0.46, 497/0.56, 498/0.24, 499/0.37, 508/0.34, 509/0.33, 520/0.30, 694/0.33, 695/0.33, 957/0.29, किता–21, नवीन खाता संख्या 632 खसरा नम्बर 1328/0.13, 1336/0.09, 1337/0.15, 1351/0.12, 1352/0.11, 1353/0.19 किता–6, नवीन खाता संख्या 69 वाके ग्राम शीशवाडा तहसील डीग की आराजी में हम प्रार्थिया के दर्ज हो रहे अशुद्व नाम सन्तो के स्थान पर सत्तो दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 1786/0.32, 1787/0.41, 1788/0.43, 2996/0.19, 2997/0.21, 2999/0.24, 3000/0.54, 3010/0.47, 3011/0.29, 3012/0.27, 487/0.30, 496/0.46, 497/0.56, 498/0.24, 499/0.37, 508/0.34, 509/0.33, 520/0.30, 694/0.33, 695/0.33, 957/0.29, किता–21, नवीन खाता संख्या 632 खसरा नम्बर 1328/0.13, 1336/0.09, 1337/0.15, 1351/0.12, 1352/0.11, 1353/0.19 किता–6, नवीन खाता संख्या 69 वाके ग्राम शीशवाडा तहसील डीग की आराजी में प्रार्थिया के दर्ज हो रहे अशुद्व नाम सन्तो के स्थान पर सत्तो दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

Scanned with OKEN Scanner